न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर
बइजलास – चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

परिवाद संख्या – 76/2022

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कम अभिहित अधिकारी, नागौर		मोहम्मद हुसैन पुत्र मोहम्मद अली जाति मुसलमान निवासी गौसिया नगर, गौसिया मस्जिद के पास, बासनी बेलिमा तहसील व जिला नागौर। मैसर्सः– नूरानी किराणा स्टोर, गौसिया नगर, गौसिया मस्जिद के पास, बासनी बेलिमा, तहसील व जिला नागौर।

आदेश दिनांक :19.05.2026

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 18-08-2022 को मैसर्स नूरानी किराणा स्टोर, गौसिया नगर, गौसिया मस्जिद के पास, बासनी बेलिमा, तहसील व जिला नागौर पर खाद्य पदार्थ दही में मिलावट का शक होने पर नमूना वास्ते जांच लिया जाकर सीरीयल कोड नं. क्यू 2011 अंकित किया गया। उक्त नमूने की जांच खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर से करवायी गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस / 1096 / एक्ट / 2022 / 958 दिनांक 26.08.2022 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना खाद्य पदार्थ दही सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त मोहम्मद हुसैन पुत्र मोहम्मद अली जाति मुसलमान निवासी गौसिया नगर, गौसिया मस्जिद के पास, बासनी बेलिमा तहसील व जिला नागौर ने एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2) (ii) का उल्लंधन किया है, जो कि एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्राथी को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 01-11-2022 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से दिनांक 20.04.2026 को श्री इरशाद अली अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में बताया कि अप्रार्थी ने भैंस के दूध से उक्त दही बनाया है। दही मे कुछ फैट की मात्रा मे कमी आयी है। भविष्य मे अप्रार्थी दही की गुणवत्ता का घ्यान रखेगा। अप्रार्थी ने प्रकरण से दोषमुक्त करने का निवेदन किया।

3. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस / 1096 / एक्ट / 2022 / 958 दिनांक 26.08.2022 के अनुसार खाद्य पदार्थ दही सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। इसलिये अप्रार्थी को दोषी करार दिया जाता है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) का उल्लंधन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थी मोहम्मद हुसैन पुत्र मोहम्मद अली जाति मुसलमान निवासी गौसिया नगर, गौसिया मस्जिद के पास, बासनी बेलिमा तहसील व जिला नागौर पर रूपये 2,500/– अक्षरे दो हजार पांच सौ रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थी को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थी से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थी निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहता है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतर्गत वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

4. आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19/5/26

(चम्पालाल जीनगर)
अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर (राजस्थान)